कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग,जबलपुर

E-Mail :- eehiranwrd09@yahoo.in (Ph:-0761-2602441)

पत्र कं 4121 /कार्य/ छीताखुदरी /2017–18 जबलपुर दिनांक 20/12/17

प्रति,

कलेक्टर,
जिला मंडला (म0प्र0)

विषयः– छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्व/आरक्षित/संरक्षित/वन–भूमि के प्रस्ताव के लिये FRA प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्
(Recognition of Forest Rights Act. 2006)

संदर्भः– 1 आपका पत्र.कं. सहा.आयु./वन अधि./2017/7013 मंडला दिनांक 30.08.2017
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र कंत्र एफ–3/83/2017/3433 दिनांक 20.11.2017

.....0.....

विषयातर्गत लेख है कि महोद्य के संदर्भित पत्र कं. 01 द्वारा हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के अंतर्गत तहसील कुण्डम में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु एस एच 31 चौरादादर वन कक्ष कं. आर. एफ. 313 में रकवा **49.239** हैक्ट. वन कक्ष कं. आर एफ 312 **0.445** हैक्ट. खरखरा वन कक्ष कं. आर.एफ. 353 में **0.111** हैक्ट. खरखरा "स" वन कक्ष कं. 0–855 में **3.045** हैक्ट, जलधरा "अ" वन कक्ष कं. 0–859 में **0.400** हैक्ट., गढ़विसोरा "अ" वन कक्ष क. 0–860 में **1.023** हैक्ट. तथा वन कक्ष क. 0–863 में **3.487** हैक्ट., गढ़बिसोरा "ब" वन कक्ष क. 0–864 में **0.511** हैक्ट., गढ़बिसोरा "द" वन कक्ष क. 0–866 में **3.204** हैक्ट. गढ़बिसोरा "ई" वन कक्ष कं. 0–867 में **2.670** हैक्ट. **कुल रकबा 64.135** हैक्टेयर की अर्जन होने वाली राजस्व/आरक्षित/संरक्षित/वन–भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत आवश्यक समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाकर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति मंडला से सहमति होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं ।

इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र (संदर्भ कं. 02) द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र Form-II (for project other than linear projects) में FRA प्रमाण पत्र चाहा गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांतर्गत प्रकरण में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को **पुनरीक्षित कर**, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्धारित प्रपत्र Form-II के अनुरूप FRA प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ।

सहपत्रः– 1 निर्धारित प्रारूप मे FRA प्रमाण पत्र
2 छाया प्रति (उपरोक्तानुसार)

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभांग, जबलपुर

पृ. कं /कार्य/ छीताखुदरी /2017–18 जबलपुर दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल जबलपुर की ओर सूचनार्थ संम्प्रेषित ।
2 अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग कं.–3 कुण्डम जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहपत्रः– शून्य

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभांग, जबलपुर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग,जबलपुर

E-Mail :- eehiranwrd09@yahoo.in (Ph:-0761-2602441)

पत्र क्रं 4120 /कार्य/ छीताखुदरी /2017–18 जबलपुर दिनांक 20/12/17

प्रति,

कलेक्टर,
जिला जबलपुर

विषयः– छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्व/आरक्षित/संरक्षित/वन–भूमि के प्रस्ताव के लिये FRA प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्
(Recognition of Forest Rights Act. 2006)

संदर्भः– 1 आपका पत्र.क्रं. 506/वन अधि./आवि/2016 जबलपुर दिनांक 01.06.2016
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रंत्र एफ–3/83/2017/3433 दिनांक 20.11.2017

---0---

विषयातर्गत लेख है कि महोद्य के संदर्भित पत्र क्रं. 01 द्वारा हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के अंतर्गत तहसील कुण्डम में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु बीट झिरिया के ग्राम बिल्टुकरी, लुकामपुरटोला, छीताखुदरी, कुडेहरदुली एवं मेनपठारी के कक्ष क्रं. 356 एवं 357 में कुल प्रभावित वन भूमि **5.42** हैक्टेयर अर्जन होने वाली राजस्व/आरक्षित/संरक्षित/वन–भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत आवश्यक समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाकर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जबलपुर से सहमति होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं ।

इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र (संदर्भ क्रं. 02) द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र Form-II (for project other than linear projects) में FRA प्रमाण पत्र चाहा गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांतर्गत प्रकरण में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को **पुनरीक्षित कर,** भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्धारित प्रपत्र Form-II के अनुरूप FRA प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ।

सहपत्रः– 1 निर्धारित प्रारूप मे FRA प्रमाण पत्र
2 छाया प्रति (उपरोक्तानुसार)

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभांग, जबलपुर

पृ. क्रं 4120 /कार्य/ छीताखुदरी /2017–18 जबलपुर दिनांक 20/12/17

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल जबलपुर की ओर सूचनार्थ संम्प्रेषित ।

2 अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रं.–3 कुण्डम जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहपत्रः– शून्य

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभांग, जबलपुर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन, संभाग जबलपुर म0प्र0

E-Mail :- ee.wrdn.jbp@mp.gov.in (Ph/Fax:-0761-2602441)

पत्र क्रमांकः 4172/कार्य/छीताखुदरी/2017 जबलपुर दिनांकः 26/12/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– जिला मंडला एवं जबलपुर के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्ट. वन भूमि में FRA प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न किये जाने बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. एफ–3/83/2017/9/3433 भोपाल दिनांक 20.11.2017

——00——

विषयांतर्गत लेख है, कि छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्ट. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के भाग–1 में संदर्भित पत्र (बिन्दु क्र.10) के अनुसार कलेक्टर मंडला एवं कलेक्टर जबलपुर के FRA प्रमाण पत्र अन्य रूप में संलग्न किये गये है, जो मान्य नहीं है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप Form-II (For Projects other than Linear Projects) में FRA प्रमाण पत्र पुनश्च जारी किये जाने हेतु कलेक्टर मंडला एवं कलेक्टर जबलपुर से अनुरोध किया गया है।

निर्धारित प्रारूप में FRA प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही इसे वेब–पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः– शून्य।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
हिरन जल संसाधन संभाग
जबलपुर (म.प्र.)

D:/Golu 196